

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा



पीठासीन अधिकारी—नरेश कुमार शर्मा
आई0ए0एस0

प्रा0 पत्र सं0 09/2016

1. नानगराम पुत्र सुखदेव
2. रामकिशोर पुत्र सांवलराम

जाति मीणा निवासी रुडमलकाबास (कालाखों) तहसील दौसा जिला दौसा

..प्रार्थीगण

बनाम

1. कन्हैयालाल पुत्र हरजी जाति मीणा निवासी ग्राम रुडमलकाबास तहसील दौसा व जिला दौसा
2. राज. सरकार द्वारा तहसीलदार तहसील दौसा जिला दौसा

..अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अ0धा0 14 (4)

भू-आवण्टन नियम-1970

- उपस्थिति—1. श्री बी0 एम0 गौड, अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष
2. श्री सतीश पारीक अधिवक्ता अप्रार्थी पक्ष

निर्णय

दिनांक: 20.11.17

संक्षिप्त वृत्तांत प्रा0 पत्र 14 (4) इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 13.11.1970 को ग्राम रुडमलकाबास तहसील दौसा के आ0ख0नं0 4/21 रकबा 8 बीघा भूमि का आवंटन अप्रार्थी सं0 एक को कर दिया गया। इसी आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अ0धा0 14 (4) भू-आवण्टन नियम-1970 के तहत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

प्रा0 पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्प0 को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष की बहस में दलील है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 13.11.1970 को ग्राम रुडमलकाबास तहसील दौसा के आ0ख0नं0 4/21 रकबा 8 बीघा भूमि का आवंटन अप्रार्थी सं0 एक को कर दिया गया। वरवक्त भू-आवंटन खसरा नंबर 4/21 रकबा 71 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम रुडमलकाबास तहसील दौसा की जमांबदी संवत 2023 लगायत 2026 प्रकोष्ठ संख्या 4 में सरकार के नाम से जो चराई के योग्य ही है, दीगर बंध डूब अंकित है, तथा प्रकोष्ठ संख्या 7 व.का.च अंकित है। आवंटीगण को कब्जा आवंटित भूमि खसरा नंबर 4/21 पर नहीं दिया गया आवंटीगण ने आराजी खसरा नंबर 119/97, 120/97, 121/97, 122/97, 123/97 व 124/97 किस्म चरागाह भूमि पर कब्जा कर लिया जिस पर आज दिन तक काबिज चले आ रहे है। आवंटित भूमि खसरा नंबर 4/21 पर आवंटीगण का कभी कब्जा नहीं हुआ। यह भूमि बंध कालाखोह के पेटे की भूमि है। आवंटी का कब्जा चरागाह भूमि पर ही है। आवंटित भूमि पेटा तालाबी अंकित है। इस प्रकार आवंटित भूमि की किस्म दिनांक 13.11.70 को बंध डूब अंकित थी एवं वर्तमान में पेटा तालाबी अंकित है। राजस्व अभिलेख से तथ्य प्रमाणित है। आवंटी ने अपना कब्जा चरागाह भूमि खसरा नंबर 97 पर होने के कारण न्यायालय उप जिला कलेक्टर दौसा के यहाँ वाद इस आशय का किया गया कि उनको आवंटित भूमि ख0नं0 4/21 पर नहीं संभलाया गया। जिसका निर्णय दिनांक 15.07.1998 द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के

आदेश निरस्त फरमा दिया गया जिसके विरुद्ध न्यायालय भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर शिविर दौसा के प्रस्तुत करने पर आवंटीगण को आराजी खसरा नंबर 97 चरागाह भूमि पर उनके कब्जे से निष्काषित नहीं करने का निर्णय दिनांक 26.06.99 पारित किया गया। इस प्रकार आवंटन दिनांक 13.11.70 को बरोज आवंटन भूमि खसरा नंबर 4/21 बंध डूब की भूमि थी, जिसकी किस्म परिवर्तन करने का अधिकार उप जिला कलेक्टर को नहीं था। भूमि आवंटित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अनुरूप आवंटन योग्य नहीं थी। भू-आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा सिवायचक होने का प्रतिवेदन असत्य प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर किया गया आवंटन विधि विरुद्ध एवं तथ्यों के विपरीत किया गया है। प्रकरण के संबंध न्यायिक उद्धरण अवलोकनीय व विचारणीय है।

1. आरआरडी 2005 (1) पृष्ठ संख्या 59 अब्दुल रहमान बनाम सरकार
2. आरआरडी 1994 पृष्ठ संख्या 208 हरिया बनाम राधाकिशन
3. आरआरडी 1989 पृष्ठ संख्या 203 कजोड बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू
4. आरआरडी 1988 पृष्ठ संख्या 98 प्रभूराम बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान
5. आरआरटी 2017 (1) पृष्ठ संख्या 443 स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम गोविंदी

आदि प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र अ0धा0 14 (4) भू-आवण्टन नियम-1970 स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 13.11.70 निरस्त फरमाया जावें।



विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी पक्ष की बहस में दलील है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 13.11.70 को ग्राम रुडमलकाबास तहसील दौसा के आ0ख0नं0 421 रकबा 8 बीघा का आवंटन अप्रार्थी सं0 1 को किया गया। भूमि का आवंटन अप्रार्थी को विधिवत रूप से पूर्ण कोरम के आवंटन कमेटी द्वारा किया गया है। वरवक्त आवंटन किस्म बा0का0च0 सिवायचक खाते में अंकित है बंध की भूमि नहीं थी। इससे पूर्व उक्त भूमि के खसरा नंबर 32 थे जिसमें में भी किस्म बा0का0च0 ही थी तथा भूमि आवंटन योग्य थी। विधिवत आवंटन के बाद विधिवत रूप से गैर खातेदारी व विधिवत रूप से खातेदारी के नामान्तरकरण तस्दीक किये गये। प्रस्तुत 14 (4) के प्रकरण निहायत ही झूठे आधार पर पर्सनल कैपेसिटी में बनाकर प्रस्तुत किये गये है तथा बंध की भूमि बनाकर पेश किये गये है। जबकि तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 12.06.2017 में भूमि को आवंटन व उससे पूर्व सिवाय चक बा0का0च0 होना अंकित किया है। जो राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी से भी बखूबी प्रमाणित है। उक्त भूमि अब्दुल रहमान के प्रकरण के अंतर्गत भी नहीं आती है। क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भूमि सन् 1947 में नदी नाले तालाबी होने के आधार पर रेफरेंस बनाने का आदेश दिया गया था। प्रार्थी द्वारा आये दिन आवंटियों को परेशान किया जाता है तथा कब्जेकाश्त में दखलन्दाजी की जाती है जिसके संबंध में इनके विरुद्ध पुलिस थाना सदर दौसा में एफआईआर नंबर 270/2016 धारा 147,149,323,341,379,447 की दर्ज करवाई गई है जिसमें पुलिस ने मुल्जिमान के विरुद्ध माननीय न्यायालय सीजेएम में चालान संख्या 325/2016 प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी की ओर से निम्नलिखित कानूनी नजीरें प्रस्तुत:-

1. 2016 (2)सीजे(सिविल)राज.पेज 692
2. 2016 आरआरडी पेज 317
3. 1996 डीएनजे राज. हाई कोर्ट पेज 100
4. 1995 आरबीजे राज. हाई कोर्ट पेज 780
5. 2014 आरबीजे राज. हाई कोर्ट पेज 626
6. 2010 आरबीजे राजस्व मण्डल पेज 608
7. 2006 आरबीजे राजस्व मण्डल पेज 216
8. 2011 आरबीजे राजस्व मण्डल पेज 601
9. 2011 आरबीजे राज.हाई कोर्ट पेज 524
10. 2011 आरबीजे राजस्व मण्डल पेज 418

11. 2007 आरआरटी (2) राजस्व मण्डल पेज 1430 आदि प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र अ0धा0 14 (4) भू-आवण्टन नियम-1970 अस्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 13.11.70 बहाल रखा जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अप्रार्थी ने आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष भूमि आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर उसकी जाँच पटवारी हल्का से करवाई गई। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट की गई, तदनुरूप ही आवंटन कमेटी की सिफारिश पर पूर्ण कोरम द्वारा अप्रार्थी को मजमें आम में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 13.11.1970 को ग्राम रुडमलकाबास तहसील दौसा के आ0ख0नं0 4/21 रकबा 8 बीघा भूमि का आवंटन किया गया है। उभय पक्ष के मध्य उक्त आवंटित भूमि के संबंध में असंतोष है, जिसके कारण ही यह प्रा0 पत्र इस न्यायालय के समक्ष पेश हुआ है। आवंटित भूमि के संबंध में उभयपक्ष अलग-अलग दावें पेश कर अपने-अपने पक्ष की बात रख रहे हैं। उभय पक्ष के मध्य अलग-अलग न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों से आवंटित भूमि को जोड़ने का कोई औचित्य नहीं है। केवल कानूनी बिंदुओं को ध्यान में रखकर ही प्रकरण का निस्तारण किया जाना है। प्रकरण का मूल विषय आवंटन विधिवत हुआ अथवा नहीं तथा आवंटित भूमि की तत्समय किस्म क्या थी इतना इस न्यायालय को देखना है। भूमि एकीकरण विभाग द्वारा जारी मिलान क्षेत्रफल संवत 2017 के अनुसार साबिक खसरा नंबर 32 रकबा 71 बीघा 9 बिस्वा का वर्तमान खसरा नंबर 4/21 रकबा 71 बीघा 9 बिस्वा कायम किया गया है। साथ ही खसरा नंबर 4/21 में से आवंटन के बाद आवंटी के नाम अलग-अलग खसरा नंबर कायम होकर उनके नाम नामान्तरकरण तस्दीक हो चुका है। जमाबंदी ग्राम रुडमल का बास संवत 2072-75 में भूमि पेटा तालाबी अंकित है। संवत 2031-34 की आंशिक जमाबंदी में भूमि जो कृषियोग्य नहीं है, भूमि जो चराई के योग्य है, नदी, नाले व डूब अंकित है। जमाबंदी संवत 2023-26 में किस्म भूमि ब0का0च0 अंकित है।

अप्रार्थी द्वारा लिखित बहस के साथ तहसीलदार दौसा द्वारा जारी पत्रांक भू0अ0/2017/4585 दिनांक12.06.2017 के तहत सूचना का अधिकारीअधिनियम-2005 के तहत उनवानी रघुनाथ बनाम तहसीलदार दौसा में जारी सूचना बतौर सबूत पेश किया गया है, का अवलोकन किया गया तदनुसार मुख्य रूप से तहसीलदार ने निम्नानुसार अंकित किया है:-
ग्राम रुडमलकाबास की खतौनी बंदोबस्त संवत 2005 से 2022 में ख0नं0 32 रकबा 71 बीघा 9 बिस्वा किस्म बंजड का0च0 मकबूजा टिकाना महारावल संग्राम सिंह जी के नाम दर्ज रिकार्ड थी।

1. भूमि एकीकरण मिलान क्षेत्रफल संवत 2017 में उक्त ख0नं0 32 के नये नंबर 4/21 रकबा 71 बीघा 9 बिस्वा बनाये जाकर सिवायचक लगानी के खाते में दर्ज रिकॉर्ड थी।
2. इसके पश्चात जमाबंदी संवत 2023-26 में ग्राम रुडमल का बास स्थित ख0नं0 4/21 रकबा 71 बीघा 9 बिस्वा किस्म बा0का0च0 दर्ज रिकॉर्ड था जो सिवायचक खाते में दीगर (बंध डूब) के अन्तर्गत दर्ज थी। साथ ही रेफरेंस प्रकरण बनने योग्य नहीं होना अपनी उक्त रिपोर्ट में तहसीलदार द्वारा बताया है। किंतु उक्त रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि तहसीलदार ने गंभीरता से जाँच नहीं की बल्कि फौरी तौर पर रिपोर्ट तैयार किया जाना प्रतीत होता है।

“माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी0बी0 सिविल जनहित याचिका सं0 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 में 15 अगस्त 1947 के राजस्व रिकॉर्ड में दर्शाये गये नदी, नाले, उप नदी आदि के संबंध में जिसके अन्तर्गत ऐसी किसी भूमि पर निजी खातेदारी दर्ज है तो उक्त कार्यवाही भू-राजस्व अधिनियम की धारा 88 के प्रावधानों के विपरीत है। ऐसे मामले चिह्नित कर खातेदारी दिए जाने संबंधी कार्यवाही भू-राजस्व अधिनियम की धारा 88(2) अनुसार विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए निरस्त करने की कार्यवाही करने एवं जिन प्रकरणों को राजस्व मण्डल में रेफरेंस किए जाने हैं, उनमें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 232 व भू-राजस्व अधिनियम की धारा 82 के तहत रेफरेंस करने के आदेश प्रदान किये गये हैं।”

मुख्य बात यह है कि उक्त आवंटित भूमि अलग-अलग जमाबंदी में अलग-अलग किस्म दर्शायी गई है, जिसके कारण भूमि की किस्म के संबंध में सही स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। उभय पक्ष के



विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत नजीरें इस प्रकरण की स्थिति को देखते हुए पूर्णतः चस्पा नहीं होने के कारण हमारे विनम्र मत में उपरोक्त तथ्यों, कानूनी नजीरों एवं दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण की जाँच करवाया जाना आवश्यक प्रतीत होने से पुनः तहसीलदार, दौसा की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर उक्त भूमि के संबंध में मौका एवं रिकॉर्ड की पुनः जाँच किया जाना उचित प्रतीत होने से प्रकरण तहसीलदार, दौसा को इस निर्देश के साथ भिजवाया जाता है कि वे स्वयं कमेटी गठित कर उभय पक्ष द्वारा उठायी गई आपत्ति एवं रिकॉर्ड व मौके की स्थिति देखते हुए विस्तृत जाँच करें एवं यदि आवंटित भूमि प्रतिबंधित क्षेत्र या अब्दुल रहमान के अंतर्गत दिये गये निर्देशों के अंतर्गत आती हो, तो नियमानुसार सक्षम न्यायालय में 03 माह के भीतर-भीतर रेफरेंस पेश करें।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रा0 पत्र 14 (4) अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। तहसीलदार, दौसा को निर्देश दिये जाते हैं कि यदि प्रकरण रेफरेंस योग्य पाया जाता है, तो सक्षम न्यायालय में 03 माह के भीतर-भीतर विधिवत पेश करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित प्रेषित की जावें। तहसीलदार, दौसा को भी निर्णय प्रति अलग से भिजवाई जावें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक: 20 नवम्बर, 2017 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।



(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा